

प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना आवश्यकता एवं प्रभाव

अग्निवेश गुप्ता*

प्रस्तुत आलेख में, देशभर के विभिन्न सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में चल रही मध्याह्न भोजन योजना का प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों पर पड़ रहे प्रभाव को जानने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद गौतमबुद्ध नगर के प्राथमिक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों का अवलोकन किया गया। इस आलेख के माध्यम से अवलोकनकर्ता ने उक्त जनपद में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में अधिकार आधारित नीति अपनाई है जिसके आधार पर कक्षा 8 तक पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत कानून बनाकर उसमें कहा गया है, देश में स्कूल जाने वाले हर बालक का अधिकार है कि उसे विद्यालय की तरफ से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाए। इस अधिकार को आहार सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार के व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ा गया है। वर्तमान समय में, मध्याह्न भोजन योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक बहुतायत जिलों के सरकारी, स्थानीय निकाय एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय होने के साथ-साथ प्रभावी भी है। आज देश में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की 85 प्रतिशत संख्या को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मिल रहा है। जिसका उद्देश्य है— बिना किसी भेदभाव व पूर्वाग्रह के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक बालक एवं बालिका को निःशुल्क पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराना।

पृष्ठभूमि

मध्याह्न भोजन योजना देशभर के प्राथमिक विद्यालयों में चलायी जाने वाली सबसे जनप्रिय योजना है। इसके तहत विद्यालयों में कार्य दिवस के दौरान बच्चों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है जिसका

प्रमुख उद्देश्य बच्चों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराना है। औपचारिक रूप से भले ही इसकी शुरुआत सन् 1995 से मानी जाती हो, लेकिन इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन रहा है। तमिलनाडु राज्य में तो प्राचीन मद्रास शहर के नगर निगम विद्यालयों में सन् 1923 में

* विभागाध्यक्ष (शिक्षा विभाग), एच.आई.एम.टी., ग्रेटर नोएडा

बच्चों को भोजन दिए जाने की शुरुआत की गई थी। इसके बाद सन् 1960 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री के. कामराज ने कई विद्यालयों में इस योजना को प्रारंभ किया था, जिसे सन् 1982 में एम.जी. रामचंद्रन की सरकार ने आगे बढ़ाया। उन्होंने 10 वीं कक्षा तक के बच्चों को इसके दायरे में लाने का निर्णय लिया। तमिलनाडु में इसकी सफलता के बाद कई अन्य राज्यों ने भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की। सन् 1980 के अंत तक आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य ने भी इस योजना को शुरू कर दिया था। 1995 तक केरल, मध्य प्रदेश और ओडिशा की सरकारों ने भी अपने-अपने स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे — यूनिसेफ, सार्क, डब्ल्यू.एच.ओ. आदि संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के विकास में अपना विशेष योगदान दिया है। केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के नाम से सबसे पहले 15 अगस्त, 1995 को देश के 2,408 ब्लॉकों में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसे लागू किया। कक्षा 5 तक के सरकारी, परिषदीय, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को इसमें शामिल किया गया था। विद्यालय में जिन बच्चों की उपस्थिति 80 प्रतिशत से ज्यादा है, उन्हें हर महीने 3 किलो गेहूँ या चावल देने का प्रावधान शुरू में किया गया था।

मध्याह्न भोजन योजना की वर्तमान स्थिति

केंद्र सरकार ने भले ही इस योजना को सन् 1995 में लागू किया हो, लेकिन अधिकतर राज्यों ने 28 नवंबर,

2001 को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद ही इस योजना को अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, कि स्कूल में भोजन प्राप्त करना प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र का अधिकार है। अतः प्राथमिक विद्यालय में सरकार द्वारा बच्चों को पकाया हुआ खाद्य उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। इसके बाद से सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना चलाई जाने लगी। इसके परिणामस्वरूप मध्याह्न भोजन योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। भारत में सन् 1995 में शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना विश्व में इस प्रकार की सबसे बड़ी योजना है। सितंबर 2004 में इस योजना में संशोधन करते हुए इसे सर्वव्यापी एवं लोकप्रिय बनाया गया। सरकारी, अनुदान प्राप्त स्कूल, स्थानीय शासन के अंतर्गत चलने वाले विद्यालय और सरकारी प्राथमिक विद्यालय में (कक्षा 1 से 4 तक) पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को इसके दायरे में लाया गया। बच्चों के उचित पोषाहार को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कोष से प्रत्येक बालक पर एक रुपये मंजूर हुआ। उच्च प्राइमरी विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें भोजन से 700 किलो कैलोरी उपलब्ध हो। इसके लिए 150 ग्राम अनाज और 20 ग्राम प्रोटीन की मात्रा तय की गई है।

जिसके बाद सितंबर, 2004 से पका-पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराए जाने की योजना आरंभ कर दी गई। लेकिन सन् 2005 के बाद इस कार्यक्रम को समग्र तौर पर अपनाया गया। सन् 2006 में इस योजना में फिर से संशोधन

किया गया और भोजन पकाने के बजट में प्रति छात्र बढ़ोत्तरी करते हुए 2 रुपये कर दिया गया। कैलोरी की मात्रा घटाकर 450 किलो कैलोरी रखी गई, जबकि प्रोटीन की मात्रा घटाकर 12 ग्राम कर दी गई। मध्याह्न भोजन योजना की सफलता को देखते हुए अक्टूबर, 2007 से इसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अप्रैल, 2008 से शेष बचे हुए ब्लॉकों एवं नगर क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तारित कर दिया गया। वर्ष 2008–2009 से यह कार्यक्रम देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को भी प्रारंभिक स्तर पर इस योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2010 में शामिल कर लिया गया है।

सन् 2011 में इस योजना की पहुँच भारत के 11 करोड़ 30 लाख 60 हजार बच्चों तक हो चुकी थी। फिर केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी देकर करीब 12 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य व तंदरुस्ती सुधारने के लिए भोजन पकाने का खर्च ढाई रुपये से बढ़ाकर पौने चार रुपये कर दिया है। जबकि अब 25 छात्रों पर एक रसोइया, 100 तक के छात्र पर एक अतिरिक्त रसोइया रखा जा सकेगा, जिन्हें 1,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान रसोइया सहायकों का मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये तथा वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान रसोइया सहायक का मानदेय 2000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

मध्याह्न भोजन योजना के बारे में कानूनी प्रावधान

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में निर्देशित किया था कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में छुट्टियों में भी मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा भोजन दिया जाना अनिवार्य होना चाहिए। इस संदर्भ में बेहतर होगा कि नियमों के तहत यह स्पष्ट किया जाए कि प्राकृतिक आपदाओं, सांप्रदायिक या जातिगत हिंसा या टकराव की स्थिति में बच्चों के भोजन के अधिकार को सीमित नहीं किया जाएगा। पहली से कक्षा 8 तक के अर्थात् छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के बच्चों की दशा में, इनमें से जो भी लागू हो, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन एक बार दोपहर का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए, जिससे अनुसूची में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके। अनुसूची में विनिर्दिष्ट धारा 5, उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसार प्रत्येक विद्यालय तथा आँगनवाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएँ होंगी। जबकि धारा 5 की उपधारा 2 में स्पष्ट कहा गया है कि ‘नगरीय क्षेत्रों में, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, भोजन पकाने के लिए केंद्रीयकृत रसोईघरों की सुविधाएँ, जहाँ कहीं भी अपेक्षित हों, उपयोग किया जा सकेगा।’ पोषण मानक अनुसूची के तहत निम्न प्राथमिक कक्षाओं में गरम व पका हुआ भोजन जिसमें 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन जबकि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन की मात्रा निश्चित की गई।

केंद्र सरकार ने भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में अधिकार आधारित नीति अपनाई है। जिसके आधार पर कक्षा 8 तक पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत कानून बनाकर उसमें कहा गया है, कि देश में स्कूल जाने वाले हर बालक का अधिकार है कि उसे विद्यालय की तरफ से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाए। इस अधिकार को आहार सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार को व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ा गया है। प्राथमिक विद्यालयों के परिसरों में स्थित प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को भी इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और मध्याह्न भोजन योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ मिलकर काम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम केंद्र सरकार की एक नई पहल है। जिसका उद्देश्य जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों की जाँच, जन्म के समय की कमियाँ, बीमारियाँ, बच्चे के विकास, विकलांगता आदि की जाँच का प्रबंध करके उन्हें तंदुरुस्त व सेहतमंद बनाए रखना है।

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क भोजन और शिक्षा उपलब्ध कराना है। मध्याह्न भोजन योजना सरकारी, स्थानीय निकाय और

सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, ई.जी.एस. तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके लाभवंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने और कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना तथा ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराना है।

मध्याह्न भोजन योजना का प्रभाव

वर्तमान समय में, मध्याह्न भोजन योजना के कारण विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इससे बच्चों को भूखे पेट पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, जिसे केंद्र सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इससे लैंगिक तथा सामाजिक समता की भावना का भी विकास हुआ है। योजना सुचारू रूप से लागू होने के बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों का विद्यालय में नामांकन के प्रतिशत में भी बढ़ोत्तरी हुई है। सन् 2001-02 से 2007-08 के बीच विद्यालय नामांकन से संबंधित आँकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के बच्चों के बीच विद्यालय नामांकन प्रतिशत में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

सन् 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ हो चुका था। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ

कर दिया गया। अक्टूबर, 2007 से देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले बच्चों तक इसको विस्तारित कर दिया गया। सन् 2008–2009 से यह योजना देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए सुलभ हो, ऐसे दिशा निर्देश सरकार ने जारी कर दिए। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को भी प्रारंभिक स्तर पर इस योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2010 से शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) की रिपोर्ट-2005 के अनुसार जो बच्चे मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित हुए उनकी बोध क्षमता उन बच्चों से कहीं ज्यादा थी, जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सका था।

मध्याह्न भोजन योजना से लाभ

- सरकारी आँकड़ों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि मध्याह्न भोजन योजना से विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति में भी बढ़ोत्तरी हुई है। विद्यालयों में सिर्फ नामांकन की संख्या ही नहीं बल्कि बच्चों की उपस्थिति और रुचि में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।
- अधिकतर बच्चे घर से बिना कुछ खाए-पीए विद्यालय आते हैं और जो बच्चे थोड़ा-बहुत खाना खाकर स्कूल आते भी हैं, वे बच्चे भी दोपहर तक भूख से छटपटाने लगते हैं क्योंकि उन्हें घर से दोपहर के खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाता या फिर उनका घर स्कूल से इतनी दूर होता है, कि दोपहर के खाने के लिए घर जाएँ तो समय पर विद्यालय लौटना बहुत मुश्किल होता है।

- मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा बच्चों को निरंतर पोषाहारयुक्त भोजन प्रदान करने से बच्चे स्वस्थ व तंदुरुस्त बनाए जा सकते हैं।
- अगर मध्याह्न भोजन योजना को सुनियोजित ढंग से चलाया जाए तो इसके सहारे बच्चों के भीतर कई अच्छी आदतें विकसित की जा सकती हैं। उन्हें खाने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करने के बारे में बताया जा सकता है। बच्चों के भीतर साफ़ पानी पीने, हाथों की सफ़ाई और स्वास्थ्य से जुड़ी बातों के लिए आदत विकसित की जा सकती है।
- मध्याह्न भोजन योजना के सहारे सामाजिक समानता के मूल्य को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय में अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे पढ़ने आते हैं और उन्हें साथ बैठकर भोजन करना होता है, इससे जाति और धर्म के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अलग कर देखने की भावना खत्म होती है।
- विद्यालयों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का नामांकन एवं उपस्थिति कम देखने को मिलती है। मध्याह्न भोजन योजना के सहारे विद्यालयों में इस दिशा में बच्चों के बीच बराबरी लाई जा सकती है।
- अक्सर देखा जाता है कि शारीरिक रूप से कमजोर होने पर बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। उनके भीतर असुरक्षा, चिंता और तनाव बना रहता है। इन सबका असर बच्चों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास पर भी पड़ता है। मध्याह्न भोजन योजना से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी

देखी गई है। क्योंकि यदि बच्चों का पेट भरा रहेगा तो वह अधिक सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

अवलोकनकर्ता ने जनपद गौतमबुद्ध नगर के प्राथमिक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाने वाले मध्याह्न भोजन योजना को देखा, सभी बच्चे आपस में मिलकर मध्याह्न भोजन खाते हैं। यही नहीं, उनकी कक्षा उपस्थिति तथा स्वास्थ्य के बारे में शिक्षकों से बातचीत करने पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। अतः मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा बच्चों को निरंतर पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराने से बच्चे स्वस्थ हो सकते हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है, कि मध्याह्न भोजन योजना गौतमबुद्ध नगर जैसे शहरी तथा पूर्णतः विकसित जनपदों में पढ़ रहे बच्चों में अधिक प्रभावी है तो देश के अन्य जनपदों में निश्चित रूप से यह योजना प्रभावी होगी। अतः उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना विद्यालयों में बच्चों के बीच जाति और संप्रदाय के अवरोध को मिटाने में विशेष रूप से सहायता कर रही है। स्कूल की भागीदारी में लैंगिक अंतराल को भी मध्याह्न भोजन योजना कम कर रही है, क्योंकि यह बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाली बाधाओं को दूर करने में भी सहायता कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना बालकों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में मदद कर रही है। सुनियोजित मध्याह्न भोजन योजना को बच्चों में अनेक तरह की अच्छी आदतें डालने के अवसर के रूप में

उपयोग में लाया जा सकता है। मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के लिए पूरक-पोषण के स्रोत और उनके स्वस्थ विकास के रूप में भी बच्चों के बीच कार्य कर रही है।

सुझाव

शिक्षा का समग्र विकास और सर्वसुलभ बनाने के लिए देश में चल रही सबसे लोकप्रिय मध्याह्न भोजन योजना है जिसके द्वारा बालक एवं बालिकाओं को पोषणयुक्त निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अवलोकन में यह भी देखने को मिला है कि जनपद के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएँ शिक्षा आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अतः मेरे अपने विचार से, इस योजना के साथ-साथ यदि सभी प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम पाँच-छः योग्य अध्यापकों की स्थायी नियुक्ति की जाए, उनके शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी रखने वाली प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। अध्यापकों की जवाबदेही परिणाम देने वाली होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जो राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मुख्य भूमिका निभा सकता है। यह देश के भावी नागरिकों की विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित कर उनका सशक्तिकरण एवं जीवन स्तर को उच्च करके, उनके आत्मविश्वास का स्तर भी उच्च बनाता है। शिक्षा में केवल पाठ्यपुस्तकें पढ़ना-लिखना ही शामिल नहीं है, बल्कि इससे मूल्यों, कौशलों तथा क्षमताओं में भी वृद्धि की जाती है। जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने प्रगतिशील मूल्यों के साथ एक नए समाज के निर्माण में उपयोगी भूमिका निभाने में सहायता मिलती है।

संदर्भ

- एन.सी.ई.आर.टी. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.
- गुप्ता, ए. 2014. “ईशूज एंड चैलेंजेस — राइट टू एजुकेशन पॉलिसी एंड परस्पेक्टिव”. *डेवलपमेंट ऑफ़ एलीमेंटरी एजुकेशन इन इंडिया*. ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नयी दिल्ली, पृ., 149–160.
- 2016. “शिक्षा का अधिकार अधिनियम — चुनौतियाँ एवं वर्तमान स्थिति”, *अनुसंधान अन्वेषिका* वॉल्यूम VI, मेरठ पृ., 37–42.
- तिवारी, एन. 2000. *प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की समस्या एवं समाधान*, अवध-अर्चना प्रकाशन, फैजाबाद.
- मदान, पू. 2012. *भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं समस्याएँ*. अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा.
- मलायट्री, पी. 2010. “इम्पैक्ट ऑफ़ मिड-डे मील प्रोग्राम”. *कुरुक्षेत्र*. अंक 2 (फरवरी, 2010), नयी दिल्ली. पृ. 29–33.
- मैत्री, एस. 1999. *ए स्टडी ऑफ़ ओपिनियन ऑफ़ प्राइमरी स्कूल टीचर्स ऑफ़ मिड-डे मील प्रोग्राम इन क्रेन्द्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ उड़ीसा*. एम.ए. डिजिटेशन. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र.
- लाल, आर.बी. और के. कान्त 2012. *भारतीय शिक्षा का इतिहास — विकास एवं समस्याएँ*, आर लाल बुक डिपो, मेरठ.
- सिक्लीगर, पी.सी. 2015. *मिड-डे मील स्कीम एंड स्कूल एजुकेशन — प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस*. इम्पेक्ट पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, नयी दिल्ली.
- www.mdm.nic.in
- www.ssa.nic.in
- www.mhrd.gov.in